

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 934]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, फरवरी 28, 2019/ फाल्गुन 9, 1940

No. 934]

NEW DELHI, THURSDAY, FEBRUARY 28, 2019/ PHALGUNA 9, 1940

कॉरपोरेट मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 28 फरवरी, 2019

का.आ. 1068(अ).— केंद्रीय सरकार, कंपनी अधिनियम, 2013 (2013 का 18) की धारा 132 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निम्नलिखित व्यक्तियों को तुरंत प्रभाव से राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण (एनएफआरए) के अंशकालिक सदस्यों के रूप में नियुक्त करती है, अर्थातु:-

- (i) श्री के. वी. आर. मूर्ति, संयुक्त सचिव, कारपोरेट कार्य मंत्रालय;
- (ii) श्री राम मोहन जौहरी, महानिदेशक, सूचना प्रणाली और लेखा परीक्षा के लिए अन्तर्राष्ट्रीय केंद्र (आईसीआईएसए), नियत्रंक और महालेखापरीक्षक;
- (iii) श्रीमति सुधा बालाकृष्णन, मुख्य वित्तीय अधिकारी, भारतीय रिजर्व बैंक;
- (iv) श्री अमरजीत सिंह, कार्यकारी निदेशक, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड;
- (v) अध्यक्ष, भारतीय चार्टर्ड अकाउटेंट संस्थान (आईसीएआई);
- (vi) अध्यक्ष, लेखा मानक बोर्ड, भारतीय चार्टर्ड अकाउटेंट संस्थान (आईसीएआई);
- (vii) अध्यक्ष, ऑडीटिंग बोर्ड, भारतीय चार्टर्ड अकाउटेंट संस्थान (आईसीएआई)।

[फा. सं. एनएफआरए-05/6/2018- एनएफआरए-एमसीए]

के.वी.आर. मूर्ति, संयुक्त सचिव

1333 GI/2019

MINISTRY OF CORPORATE AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, the 28th February, 2019

S.O. 1068(E).—In exercise of powers conferred by sub-section (3) of section 132 of the Companies Act, 2013 (18 of 2013), the Central Government hereby appoint the following persons as part-time members of the National Financial Reporting Authority (NFRA) with immediate effect, namely:-

- (i) Shri K V R Murty, Joint Secretary, Ministry of Corporate Affairs;
- (ii) Shri Ram Mohan Johri, Director General, International Centre for Information Systems and Audit (ICISA), Comptroller & Auditor General;
- (iii) Ms. Sudha Balakrishnan, Chief Financial Officer, Reserve Bank of India;
- (iv) Shri Amarjeet Singh, Executive Director, Securities and Exchange Board of India;
- (v) President, Institute of Chartered Accountants of India (ICAI);
- (vi) Chairperson, Accounting Standards Board, Institute of Chartered Accountants of India (ICAI);
- (vii) Chairperson, Auditing and Assurance Standards Board, Institute of Chartered Accountants of India (ICAI).

[F. No. NFRA-05/6/2018-NFRA-MCA] K. V. R. MURTY, Jt. Secy.